

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042021-226691 CG-DL-E-19042021-226691

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 2021/चैत्र 29, 1943 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 2021/CHAITRA 29, 1943

No. 223]

गृह मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 280(अ).—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 552(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप—खंड (i) तारीख 11 सितम्बर, 2020, में प्रकाशित की गई थी, में पृष्ठ संख्या 2 पर, क्रम संख्या—5 में चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता.— "इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थय देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप—1, में है, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे"। के स्थान पर चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थय देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप—1, में है, इन नियमों के अधीन पदोन्नित अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे" को पढ़ें।

2. राजपत्र अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

[फा. सं. I.12012 / 02 / 2018 — संगठन] पी. वेनुकुट्टन नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th April, 2021

G.S.R. 280(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number G.S.R. 552(E), dated 11Th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 11th September, 2020, at page number 04, in Serial No. 5 for Medical Fitness.— "Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for appointment on deputation" read Medical Fitness.— "Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for appointment on promotion or deputation under these rules."

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. I.12012/02/2018-Org]

P. VENUKUTTAN NAIR, Under Secy.